

आवेदन पत्र संख्या

खाद्य एवं पूर्ति विभाग, हरियाणा

फार्म डी - 1 A

राशन कार्ड के लिए आवेदन पत्र

टिप्पणी :- आवेदक कृपया अन्तिम पृष्ठ पर अनुदेशों को देखें।

कृपया उचित को / करें।

- 1 निरस्तीकरण प्रमाण पत्र के आधार पर नया राशन कार्ड
- 2 डुप्लीकेट राशन कार्ड
- 3 राशन कार्ड में अतिरिक्त सदस्य का नाम जोड़ने/ काटने हेतु
- 4 राशन कार्ड में पता बदलवाने हेतु
- 5 राशन कार्ड में पता व डिपोधारक का परिवर्तन करने हेतु
- 6 निरस्तीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु

परिवार के ग्रुप फोटो
चिपकाने के लिए स्थान

पूरा विवरण स्पष्ट अक्षरों में भरें

- 1 आवेदक का नाम
- 2 माता / पिता का नाम
- 3 घर का पूरा पता :- मकान नं० वार्ड नं०
सैक्टर..... गांव कालोनी/मोहल्ला/गली नं०
- 4 स्थाई डाक पता :- मकान नं० वार्ड नं०
सैक्टर..... गांव कालोनी/मोहल्ला/गली नं०
- 5 बदले हुए स्थाई पते का विवरण :- मकान नं०
वार्ड नं० सैक्टर..... गांव
कालोनी/मोहल्ला/गली नं०
- 6 व्यवसाय एवं पद पता सहित
- 7 गैस कनेक्शन है या नहीं
- 8 क्या आवेदक या उस के परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है या नहीं यदि
आयकर दाता है, तो उस का विवरण :-
नाम व्यवसाय.....
कुल वार्षिक आय
- 9 सभी स्रोतों से परिवार की वार्षिक आय

10 परिवार के सदस्यों का पूर्ण विवरण :-

क्र. सं.	नाम	आयु	पिता/पति का नाम	आवेदक के साथ सम्बंध	स्थान/राज्य जहां से आये है, आने की तिथि	कालम "ख" में अतिरिक्त व्यक्ति का नाम जो कटवाया जाना है अथवा शामिल किया जाना है।
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

तिथि

आवेदक के हस्ताक्षर/निशान अंगुठा

घोषणा

मैं एतद् घोषणा करता हूँ कि :-

- 1 पूर्व पृष्ठ पर दी गई सूचना सही है।
- 2 पूर्व पृष्ठ के कालम - 10 में शामिल सदस्यों में से किसी भी सदस्य के नाम पूरे भारत वर्ष में किसी भी स्थान पर कोई राशन कार्ड नहीं बना हुआ है और न ही किसी अन्य के राशन कार्ड में यह नाम दर्ज किये हुए हैं।
- 3 पूर्व पृष्ठ पर कालम - 10 में सदस्य सुरक्षा सेना के निर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं को जारी नहीं करवाते और न ही इन सदस्यों का नाम भारत के किसी भी उपभोग कार्ड में दर्ज है।
- 4 पूर्व पृष्ठ में वर्णित कोई भी सदस्य किसी भी होस्टल / बोर्डिंग हाउस से नियमित भोजन नहीं लेता है और न ही उनके नाम होस्टल / बोर्डिंग हाउस द्वारा बनवाए गस राशन कार्ड में दर्ज है।
- 5 मेरे अथवा मेरे परिवार के सदस्य श्री / श्रीमति के पास गैस कनेक्शन न0-----एक या दो सिलेण्डर का है।

या

- 6 मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य के पास गैस कनेक्शन नहीं है।
- 7 मैं अपने सभी परिवार के सदस्यों सहित मूलतः वर्णित मकान में रहता हूँ
- 8 जिस राशन कार्ड के तहत / डुप्लीकेट राशन कार्ड के लिए आवेदन किया जा रहा है तो वह वास्तव में मास199... के दौरान गुम हुआ है यदि वह राशन कार्ड मिल गया तो उसे खाद्य एवं पूर्ति विभाग के कार्यालय में जमा करवा दिया जाएगा तथा किसी भी तरह प्रयोग में नहीं लाया जायेगा।

- 9 . पूर्व पृष्ठ के कालम – 10 में वर्णित सदस्य अभी भी दिये गये पते पर रहते हैं तथा सभी नाम गुम हुये कार्ड पर आधारित हैं।
- 10 . पूर्व पृष्ठ के कालम – 10 में वर्णित सदस्यों के गुप फोटो की दो पास-पोर्ट आकार की प्रतियाँ संलग्न हैं।

सत्यापित करते वाले व्यक्ति के आवेदक के हस्ताक्षर-निशान अंगुठा
हस्ताक्षर एवं पद मोहर तथा तिथि सहित। तिथि:

-
- 1 गलर सूचना देने वाले दावूअक तथा आवेदन पत्र को गलत रूप से सत्यापित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अर्न्तगत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
- 2 अगर उपरोक्त में से कोई सूचना लागू नहीं होती तो उसे काट दें।

(आवेदक के लिए अनुदेश / हिदायतें)

- 1 अपूर्ण आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा।
- 2 आवेदन पत्र को सुपाठय लिखावट में शुद्ध रूप से भरा जाये।
- 3 नये / डुप्लीकेट राशन कार्ड के बदलवाने / अतिरिक्त यूनिट को कटवाने एवं पता बदलवाने के सम्बंध में प्रष्ठ-1 के कालम-10 में दियू गये सदस्यों के ग्रुप फोटो की दो प्रतियां संलग्न की जाये।
- 4 दूसरे प्रांत / नगर से आया हुआ आवेदक नये राशन कार्ड का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- 5 यदि आवेदक सरकारी कर्मचारी है तो वह आवेदत पत्र कार्यालय के अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाएं। यदि आवेदक सरकारी कर्मचारी नहीं है तो वह शहर के किसी राजपत्रित अधिकारी या सरकार द्वारा मनोनीत अन्य व्यक्ति तथा नगर पार्षद,,पंच, सरपंच,लंबरदार आदि से आवेदन पत्र सत्यापित करवाएं।

डुप्लीकेट राशनकार्ड/पता बदलवाने/जमा करवाये गए राशन कार्ड के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए डिपो धारक की सत्यापित/रद्द रिपोर्ट।

कार्ड धारक का नाम	तिथि जिस दिन अंतिम पूर्ति की गई है	राशन कार्ड की अंतिम पंजीकरण संख्या	युनिट	मकान/वार्ड संख्या	उचित मूल्य दुकान की प्राधिकृत संख्या
1	2	3	4	5	6

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने उपरोक्त आवेदक के राशन कार्ड को अपने पंजीकृत रजिस्टर से रद्द कर दिया है। रद्द राशन कार्ड के अन्तर्गत राशन मात्रा जारी नहीं की जाएगी और यदि इसी प्रकार का कार्ड डिपो में प्रस्तुत किया जाता है तो मैं उसे खाद्य एवं पूर्ति विभाग के सम्बन्धित कार्यालय में जमा करवा दूंगा।

डिपो होल्डर के हस्ताक्षर

दिनांक व मोहर सहित

डुप्लीकेट राशन कार्ड के लिए डी-4 रजिस्टर के रख रखाव के लिए नियुक्त कर्मचारी की सत्यापित रिपोर्ट

डुप्लीकेट राशन कार्ड जारी करने के लिए उपरोक्त विवरण, कार्ड संख्या, मकान नं0 सहित सत्यापित किया गया तथा वह डी-4 रजिस्टर में दर्ज के अनुरूप पाया गया।

डुप्लीकेट राशन कार्ड की जुर्माना फीस संख्या----- दितांक-----
वसूल की गई फीस-----

अधिकारी के हस्ताक्षर

अधिकारी के हस्ताक्षर

(केवल कार्यालय प्रयोग के लिये – आवेदक द्वारा न भरा जाये):

निरिक्षण करने वाले कर्मचारी/अधिकारी की सत्यापित रिपोर्ट

आज दिनांक को सत्यापित किया गया कि आवेदक के पड़ोसी श्री/श्रीमति

.....निवासी मकान न0

से सम्पर्क किया गया। आवेदन पत्र में दिये गए विवरण मेरे द्वारा सत्यापित किये गये एवं सही पाये गये।

दिये गये पते पर रह रहे व्यक्तियों का विवरण निम्न अनुसार है :-

व्यसक	बच्चे	शिशु	जोड़

जिन कारणों से सत्यापित नहीं किया गया

1

2

3

निरीक्षक के हस्ताक्षर दिनांक मोहर

एवं नाम सहित।

जारी किये गये राशन कार्ड की संख्या वार्ड/मकान न0यूनिट.....

नये/डुप्लीकेट/प्रतिस्थापन/अतिरिक्त नाम कटवाने/पता बदलने एवं राशन कार्ड जमा करवाने का इन्दाज डी-4 रजिस्टर में किया गया है।

राशन कार्ड बनाने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर जिसने इन्दाज विवरण कार्ड जारी करने

कर्मचारी के हस्ताक्षर डी-4 रजिस्टर में नाम दर्ज किया है। वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर एवं अंगुठे के निशान

राशन कार्ड प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर तिथि सहित

.....

प्राप्ती रसीद

डी-2 का क्रमांक..... दिनांक.....

आवेदक का नाम..... मकान न0.....

वार्ड/सैक्टर..... गांव/कालोनी.....बुलाने की तिथि.....

आवेदक पत्र प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर

नाम पद सहित